दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 15 दिसंबर, 2023

उद्घोषित तिथि: 02 मार्च, 2024

सि.वा (वाणि.) 26/2018 एवं अं.आ. 12086/2019

शार्प मिंट लिमिटेड .....वादी

द्वारा: श्री भास्कर तिवारी एवं श्री रमाकांत शुक्ला, अधिवक्तागण।

बनाम

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड .....प्रतिवादी

द्वारा: श्री अनंत प्रकाश, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या. नीना बंसल कृष्णा

1. वादी की ओर से 4,14,39,480/- रुपए की वसूली के लिए वर्तमान वाद दायर किया गया है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, वादी एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय शार्प हाउस, प्लॉट नंबर 9, एलएससी, गुजरांवाला टाउन-I, दिल्ली-110009 में है। यह प्राकृतिक मेंथॉल और इसके संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण में लगी हुई है और इसकी मुख्य विनिर्माण इकाई एफ - 73, 74, 75 और 75 (ए), 76 (बी, सी और डी), फेज - I, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, अलवर जिला, राजस्थान में है। वादी कंपनी को शुरू में

लक्ष्मी एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और फिर इसका नाम बदलकर शार्प एरोमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिर शार्प एरोमैटिक्स इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। वादी कंपनी का नाम दिनांक 25.11.2011 को बदलकर दिनांक 17.09.2014 से शार्प ग्लोबल लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे फिर से शार्प मिंट लिमिटेड में बदल दिया गया।

3. वादी/कंपनी प्राकृतिक मेन्थॉल और मिंट मिश्रणों सहित पुदीना सामग्री का एक बड़ा उत्पादक है और इसे आईएसओ 9001: 2015 और आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त है और इसके उत्पाद विभिन्न वैश्विक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

4. वादी का मामला यह है कि उसने प्रतिवादी से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसकी संख्या 271400/11/2014/1160 थी, ताकि दिनांक 27.02.2014 से दिनांक 26.02.2015 तक राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के एफ-73, 74, 75 और 75 (ए), 76 (बी, सी और डी), चरण-1 में स्थित अपने भवन, प्लांट एवं मशीनरी तथा स्टॉक के जोखिमों को कवर किया जा सके। पॉलिसी में वादी कंपनी के 380 करोड़ रुपये तक के सभी स्टॉक शामिल थे।

5. एक अन्य पॉलिसी मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की थी, जिसके अंतर्गत उक्त स्थान पर 150 करोड़ रुपये तक के स्टॉक का बीमा किया जाना था।

6. प्रतिवादी कंपनी की स्टॉक की हानि के प्रति देयता 71.70% थी, जबकि यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्टॉक की हानि के प्रति देयता 28.30% थी।

7. यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी/कंपनी की विनिर्माण इकाई में पंद्रह आसवन प्लांट (पी-01 से पी15) स्थापित किए गए थे। प्रत्येक आसवन प्लांट

एसएस-304 से बना था जो 44 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ 10 खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक स्तंभ नीचे की ओर एक केतली से जुड़ा हुआ है जो बदले में एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गर्म की गई फिल्म थर्मिक से जुड़ा हुआ है। स्तंभ का ऊपरी सिरा पानी से ठंडा किए गए कंडेनसर से जुड़ा हुआ है, ताकि उत्पादों को संघनित और अलग किया जा सके। स्तंभ एसएस- 304 पैकिंग ग्रिड से भरे हुए हैं जो पृथक्करण के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग क्वथनांक वाले उत्पादों के लिए पर्याप्त निवास समय प्रदान करते हैं।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 21.04.2014 को फैक्ट्री परिसर में आग लग गई थी, जिससे डिस्टिलेशन प्लांट पी-01 के एसएस-304 कॉलम और एसएस-304 स्टील ग्रिड पैकिंग को नुकसान पहुंचा था। उक्त कॉलम और इसकी सभी सामग्री जल गई और दूषित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक और प्लांट को नुकसान हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना के बारे में तुरंत सूचित किया गया।

9. प्रतिवादी/बीमा कंपनी ने मेसर्स आर एन शर्मा एंड कंपनी को प्रारंभिक सर्वेक्षक नियुक्त किया, जिन्होंने दिनांक 23.04.2014 को फैक्ट्री का दौरा किया और प्रभावित इकाई की तस्वीरें लीं। इसके बाद, प्रतिवादी ने परिसर का सर्वेक्षण करने और नुकसान का आकलन करने के लिए मैक इंश्योरेंस सर्वेक्षक और लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। सर्वेक्षण दल ने दिनांक 26.04.2014 को एफ - 73, 74, 75 और 75 (ए), 76 (बी, सी और डी), फेज 1, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में प्रभावित फैक्ट्री परिसर का दौरा किया।

10. अन्य बीमा कंपनी अर्थात यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेक्षण करने और नुकसान का आकलन करने के लिए मेसर्स एस आई बी एंड एसोसिएट्स, मुंबई को सर्वेक्षक नियुक्त किया।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि मैक इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्लांट पी-01 और उसके स्तंभ क्षतिग्रस्त पाए गए। सर्वेक्षक ने आग के कारणों की संभावनाओं की जांच की, हालांकि, आग के संभावित कारण की अभी भी जांच चल रही है। यह देखा गया कि स्तंभ वैक्यूम सील थे और हवा के प्रवेश की कोई संभावना नहीं थी, जो आग लगने के लिए आवश्यक है। सर्वेक्षक ने नुकसान या हानि का मूल्यांकन करने के लिए वादी को क्षतिग्रस्त प्लांट को नष्ट करने के लिए कहा।

12. वादी/कंपनी ने कुल 4,65,43,040 रुपये (चार करोड़ पैंसठ लाख तैंतालीस हजार चालीस रुपये मात्र) का दावा दायर किया, जिसे बाद में संशोधित कर 4,12,12,988 रुपये कर दिया गया जिसमें स्टॉक की हानि के लिए 3,48,54,023 रुपये शामिल थे। यह कहा गया है कि चूंकि स्टॉक का दो बीमाकर्ताओं के साथ बीमा किया गया है, इसलिए स्टॉक की हानि के लिए प्रतिवादी कंपनी का आनुपातिक हिस्सा 71.70% है और उनकी देयता 2,49,90,334 रुपये है। इसके अलावा, प्लांट नंबर पी-01 को हुए नुकसान के कारण 63,38,267 रुपये की राशि और आग बुझाने के लिए हुए खर्च के लिए 20,699 रुपये का दावा किया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी कंपनी की कुल देयता पूर्व मुकदमेबाजी अवधि के लिए ब्याज को छोड़कर 3,13,49,300 रुपये है।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने सभी आवश्यक दस्तावेज विधिवत जमा कर दिए थे, इसके बावजूद प्रतिवादी ने दावा राशि का भुगतान करने में देरी की। वादी ने आग के मूल कारण पर मेसर्स पुरी क्रॉफर्ड इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "स्वतंत्र सर्वेक्षक" के रूप में संदर्भित) द्वारा एक स्वतंत्र राय भी प्रस्तुत की है। उक्त कंपनी के अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन द्वारा दी गई दिनांक 23.09.2014 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्वलनशील तरल पदार्थों के रूप में दहनशील सामग्री और थर्मिक द्रव हीटर के

रूप में गर्मी के स्रोत वाले फ्रैक्शनेशन कॉलम आग शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि हवा से ऑक्सीजन का प्रवेश न हो। हवा के प्रवेश का कारण टेफ्लॉन गैसकेट की विफलता तक सीमित हो गया था जो आमतौर पर समय के साथ टूट जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अवलोकन इस तथ्य से समर्थित है कि आग को सबसे पहले मैनहोल कवर और कॉलम के खोल के पास देखा गया था।

14. इसके बाद, **प्रतिवादी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक मेसर्स मैक इंश्योरेंस सर्वेक्षक ने दिनांक 04.03.2015 को अपनी रिपोर्ट जारी की**। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त रिपोर्ट में स्टॉक के नुकसान का गलत आकलन 1,79,35,047.00 रुपये किया गया था, जिसमें से प्रतिवादी की आनुपातिक राशि 1,28,59,090 रुपये निर्धारित की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सर्वेक्षक ने प्लांट और मशीनरी पर नुकसान का भी गलत आकलन 24,97,238 रुपये किया था, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि इन्सुलेशन और हीट ट्रेसर पर 2,92,157 रुपये का व्यय हुआ था। इसके अलावा, सर्वेक्षक अपने आकलन का आधार प्रदान करने में विफल रहे।

15. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के सर्वेक्षक ने स्वतंत्र सर्वेक्षक, श्री श्रीनिवासन के निष्कर्षों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी कि वायु के प्रवेश के कारण आग लगी और प्लांट तथा स्टॉक को नुकसान हुआ, लेकिन गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि **कच्चे मेंथा तेल में अपने आप आग लग गई और प्लांट पी-01 में प्रसंस्करण किए गए मेंथा तेल की 5784.9 किलोग्राम मात्रा के नुकसान को पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं माना**, इस गलत धारणा पर कि स्टॉक का नुकसान पॉलिसी के अपवादों में से एक के अंतर्गत कवर किया गया था और प्रतिवादी ऐसे नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

16. यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी के सर्वेक्षक यह समझने में विफल रहे कि कच्चे मेंथा तेल का स्टॉक एक एयरटाइट वैक्यूम प्लांट में आसवन/विभाजन के अपने सामान्य क्रम में था और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लग सकती थी। सर्वेक्षक यह समझने में विफल रहे कि प्लांट के साथ-साथ स्टॉक को नुकसान ऑटो-इग्निशन या स्व-दहन के कारण नहीं था, बल्कि ऑक्सीजन के प्रवेश के कारण हुआ था, जो टेफ्लॉन गैसकेट की दरार और/या मैनहोल फ्लैंज के जंग लगने के कारण कॉलम में हुआ था।

17. प्रतिवादी ने दिनांक 26.03.2015 को ई-मेल के माध्यम से वादी को सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने वादी द्वारा दर्ज किए गए 3,13,49,300 रुपये के दावे के विरुद्ध 24,97,283 रुपये की स्पष्ट हानि को मंजूरी दे दी है। वादी ने दिनांक 10.04.2015 को अपने ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादी कंपनी से 24,97,283 रुपये की स्वीकृत राशि का विभाजन प्रदान करने की मांग की। चूंकि वादी को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वादी ने इसके बाद कई ई-मेल लिखकर स्वीकृत राशि का विवरण मांगा।

18. **दिनांक 24.04.2015 को प्रतिवादी ने वादी को बताया कि प्रतिवादी स्टॉक की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी में प्रदत्त अपवाद के अंतर्गत आता है और वादी को केवल प्लांट और मशीनरी की हानि के दावे का हकदार माना गया, जिसका मूल्यांकन 24,97,283 रुपये किया गया था।**

19. उपरोक्त संचार प्राप्त होने पर, वादी ने सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति की मांग की; हालांकि, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.07.2015 को भेजे गए ई-मेल के माध्यम से केवल इसकी एक अधूरी प्रति ही उपलब्ध कराई गई। सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, वादी ने दिनांक 09.03.2016 को भेजे गए ई-मेल

के माध्यम से कहा कि 24,97,283 रुपए का मूल्यांकन अस्वीकार्य है और इसलिए प्रतिवादी द्वारा पुनर्विचार की मांग की गई।

20. चूंकि प्रतिवादियों ने वादी के अनुरोधों पर विचार नहीं किया, इसलिए इसने दिनांक 10.03.2017 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादियों को 15 दिनों के भीतर ब्याज सहित 3,13,49,300 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। प्रतिवादियों ने दिनांक 12.04.2017 को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 24,97,283 रुपये के अपने मूल्यांकन की पुष्टि की।

21. इसलिए, वर्तमान वाद स्टॉक और प्लांट एवं मशीनरी को हुई क्षति के कारण हुई हानि के रूप में 3,13,49,300/- रुपये की वसूली के लिए दायर किया गया है, इसके अतिरिक्त 1,00,90,180/- रुपये दिनांक 01.05.2015 (अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट के लगभग एक महीने बाद) से दिनांक 05.12.2017 तक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से गणना किए गए ब्याज और वाद दायर करने की तिथि से इसकी वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से लंबित और भविष्य के ब्याज के रूप में वसूल किए जाने हैं।

22. प्रतिवादी को दिनांक 28.02.2018 को नोटिस भेजा गया, लेकिन वह लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा और उसे दाखिल करने का अधिकार दिनांक 10.10.2018 को बंद कर दिया गया।

23. वादी ने अभि.सा.1 डॉ. कमल कुमार, वादी/कंपनी के उपाध्यक्ष से पूछताछ की, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ-पत्र पेश किया। इस गवाह से प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई।

24. अभि.सा.2 श्री जी श्रीनिवासन, मेसर्स पुरी क्रॉफर्ड इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष ने स्वतंत्र राय/रिपोर्ट अभि.सा.1/57 को साबित किया था। प्रतिवादी की ओर से उनसे विधिवत जिरह की गई।

25. **वादी के वकील ने तर्क दिया है कि** न तो प्रतिवादी और न ही उनके सर्वेक्षक ने वादी की ओर से अपने प्लांटों में किसी लापरवाही का आरोप लगाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आग केवल हवा के प्रवेश के कारण ही लग सकती है, वादी के दावे को मानक अग्नि और विशेष जोखिम नीति के तहत बहिष्करण खंड के तहत खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अपवाद मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

26. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।**

27. निस्संदेह वादी ने प्रतिवादी/बीमा कंपनी से अपने सभी स्टॉक, प्लांट और मशीनरी को कवर करते हुए दिनांक 24.02.2014 से दिनांक 26.02.2015 तक पॉलिसी संख्या 271400/11/2014/1160 प्र.अभि.सा.1/4 वाली एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी ली थी। वादी के स्टॉक 380 करोड़ रुपये तक कवर किए गए थे। स्टॉक का बीमा एक अन्य कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भी 150 करोड़ रुपये तक किया गया है। इसलिए, प्रतिवादी और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आनुपातिक देयता क्रमशः 71.70% और 28.30% है।

28. यह भी चुनौती के अधीन नहीं है कि दिनांक 21.04.2014 को वादी की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिससे प्लांट संख्या पी-01 के एसएस-304 कॉलम और एसएस-304 स्टील ग्रिड पैकिंग का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। परिणामस्वरूप, कॉलम के अंदर की सामग्री भी जल गई और दूषित हो गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग को तुरंत सूचित किया गया और अग्निशमन विभाग ने दिनांक 07.05.2014 प्र. अभि.सा.1/5 का प्रमाण पत्र जारी किया।

29. मूलतः, वादी ने प्रतिवादी कंपनी के समक्ष निम्नलिखित दावे किए:

(i) शेयरों का नुकसान - रु. 2,49,90,334।

(ii) प्लांट और मशीनरी का नुकसान- **रु. 63,38,267**

(iii) आग बुझाने का खर्च- **रु. 20,699**

कुल - **रु. 3,13,49,300।**

30. प्रतिवादी द्वारा उनके आनुपातिक हिस्से के अनुसार 3,13,49,300 रुपये (स्टॉक की हानि के कारण हुई आनुपातिक हानि और प्लांट एवं मशीनरी की कुल हानि का कुल योग) का दावा किया गया है।

स्टॉक के नुकसान का दावा:

31. प्रतिवादी ने स्टॉक की हानि के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पॉलिसी के अपवाद खंड के अंतर्गत आता है।

32. पॉलिसी में ***अपवाद खंड*** निम्नानुसार हैः

"आग

बीमाकृत संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति को छोड़कर

क) (i) इसका अपना किण्वन, प्राकृतिक तापन या स्वतःस्फूर्त दहन।

(ii) यदि यह किसी तापन या सुखाने की प्रक्रिया की स्थिति में।

ख) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश से बीमाकृत संपत्ति को जलाना।

33. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा जिस धारा का सहारा लिया गया है, उसमें किसी भी तापन या सुखाने की प्रक्रिया के दौरान स्वतः प्रज्वलन के कारण बीमित संपत्ति को हुई क्षति को शामिल नहीं किया गया है।

34. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में **"ऑटो-इग्निशन तापमान"** को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर कोई भी दहनशील पदार्थ बिना किसी बाहरी स्रोत की मदद के प्रज्वलित हो सकता है। दहन की प्रक्रिया तब होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके गर्मी उत्पन्न करता है। बहिष्करण खंड मौजूद है क्योंकि दहनशील पदार्थों के प्रसंस्करण में आग लगने का अधिक जोखिम होता है, जिसके लिए रासायनिक प्लांटों में पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

35. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी ने शुरू में मेसर्स आर एन शर्मा एंड कंपनी को प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया था, जिसके बाद मेसर्स मैक इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को घटना के लिए सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। सर्वेक्षकों की टीम ने दिनांक 26.04.2014 को फैक्ट्री का दौरा किया और पाया कि 15 डिस्टिलेशन प्लांट में से प्लांट पी-01 ख़राब हो गया था।

36. वादी द्वारा दावा दायर करने के बाद, प्रतिवादी ने वादी से राय मांगी कि उनका दावा अपवाद के अंतर्गत क्यों नहीं आता। स्वतंत्र सर्वेक्षक, अर्थात् पुरी क्रॉफर्ड इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वादी द्वारा आग के मूल कारण का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने दिनांक 23.09.2014 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्र. अभि.सा. 1/57 इस प्रकार दी;

> *" ...*
>
> *4. **प्रमुख कच्चा माल मेंथा तेल है** जिसे अल्फा पिनीन, फेनचेन, लिमोलीन, सिनेओल, सिस-3 हेक्सानॉल, पेंटानॉल आदि जैसे विभिन्न उत्पादों और मिश्रणों को प्राप्त करने के लिए आंशिक रूप से आसुत किया जाता है। अपनाई गई प्रक्रिया उत्पादों को अलग करने के लिए उनके विभिन्न क्वथनांक का उपयोग करना है। **आसवन के परिणामस्वरूप पानी/नमी सहित विभिन्न उत्पादों को अलग किया जाता है। फॉलिंग फिल्म एक्सचेंजर में थर्मिक द्रव द्वारा हीटिंग प्रदान की जाती है। उत्पाद और मिश्रण सभी अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं जिनका फ़्लैश पॉइंट 100°C से कम और क्वथनांक 110°C से 230°C की सीमा में होता है।***
>
> *5. बीमाधारक ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल 2014 को फ्रैक्शनेशन कॉलम में ब्लेंड सीआईएस टेरपेन को समृद्ध किया जा रहा था, जब लगभग 4.10 बजे मैनहोल कवर के पास कॉलम के पहले भाग में आग लग गई। कॉलम के प्रभावित भाग पर पानी*

का छिड़काव करके आग बुझाने के लिए तत्काल प्रयास किए गए। आग पर पूरी तरह से काबू पाने और उसे बुझाने में लगभग एक घंटा लगा।

6. आग से 55-304 कॉलम का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और 55-304 स्टील ग्रिड पैकिंग पूरी तरह पिघल गई थी। सामग्री जल गई थी और/या दूषित हो गई थी।

7. फ्रैक्शनेशन कॉलम 55-304 के दस खंडों में बनाया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 44 मीटर है। नीचे, कॉलम केटल से जुड़ा हुआ है जो बदले में फॉलिंग फिल्म थर्मिक फ्लूइड हीटेड हीट एक्सचेंजर से जुड़ा हुआ है। कॉलम का दूसरा सिरा पानी से ठंडा होने वाले कंडेनसर से जुड़ा हुआ है ताकि उत्पाद को संघनित और अलग किया जा सके। कॉलम 55-304 पैकिंग ग्रिड से भरे हुए हैं जो अलग-अलग क्वथनांक वाले उत्पादों को अलग करने के लिए पर्याप्त निवास समय प्रदान करते हैं। कॉलम कुल रिफ्लक्स व्यवस्था के साथ बंद सर्किट आधार पर वैक्यूम के तहत काम करता है।

8. चूंकि अधिकांश उत्पाद और मिश्रण कम फ्लैश पॉइंट के साथ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए प्रक्रिया पूरी तरह से वैक्यूम के तहत की जाती है, जिससे प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉलम में हवा की मौजूदगी खत्म हो जाती है। इसे देखते हुए फीड की ड्राइंग वैक्यूम के तहत की जाती है। फीड को लगातार थर्मिक फ्लूइड हीटेड एक्सचेंज में गिरने वाली फिल्म के रूप में गिरने देकर गर्म किया जाता है। पंपिंग फ्लडेड सक्शन के तहत होती है।

9. किसी भी तरह की आग तीन महत्वपूर्ण तत्वों की उपस्थिति के कारण लगती है, अर्थात् दहनशील पदार्थ, ऊष्मा का स्रोत और ऑक्सीजन। अंशांकन स्तंभ में ज्वलनशील तरल पदार्थ के रूप में दहनशील पदार्थ और थर्मिक द्रव हीटर के रूप में ऊष्मा का स्रोत

होता है। हालांकि, ये दोनों तत्व तब तक आग नहीं लगा सकते जब तक कि हवा से ऑक्सीजन का प्रवेश न हो।

10. पैकिंग सामग्री के नुकसान और पिघलने तथा स्तंभ के प्रथम खंड के विरूपण की परिस्थितियाँ स्तंभ के प्रथम खंड में व्यापक आग का संकेत देती हैं जो केवल तभी हो सकती है जब दहन की अनुमति देने के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त निरंतर स्रोत हो।

ऑक्सीजन के प्रवेश का संभावित स्रोत निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन के कारण हो सकता है:

क. ड्राइंग से पहले कॉलम का अनुचित वैक्यूमिंग फ़ीड।

ख. फ़ीड के परिसंचरण पंप में रिसाव

ग. फॉलिंग फिल्म हीट एक्सचेंजर या केतली खोल में रिसाव

घ. ऊपरी खंड में स्तंभ के खोल का रिसाव/दरार

ङ. पाइप की विफलता के कारण हीट एक्सचेंजर से थर्मिक द्रव का आकस्मिक रिसाव

च. हवा के प्रवेश की अनुमति देने वाले मैनहोल कवर के टेफ्लॉन गैसकेट की विफलता

छ. मैनहोल फ्लेंज में जंग लगने से हवा के प्रवेश के लिए रास्ते खुल जाते हैं

11. हमने उपरोक्त सभी संभावनाओं की जांच की है और निम्नानुसार टिप्पणी की है;

क. फ़ीड निकालने से पहले कॉलम की अनुचित वैक्यूमिंग के कारण आग लगने की संभावना नहीं है क्योंकि कॉलम पहले से ही 3 घंटे से अधिक समय से चल रहा था और लगभग 200 किलोग्राम पानी आसवित हो चुका था।

ख. परिसंचरण पंप के माध्यम से हवा का प्रवेश संभव नहीं है क्योंकि पंप बाढ़ वाले सक्शन के तहत काम कर रहा है और हीटिंग शुरू होने के बाद से निरंतर संचालन में है।

ग. आग लगने के बाद फॉलिंग फिल्म हीट एक्सचेंजर या केतली के खोल में कोई क्षति नहीं देखी गई, इसलिए केतली या हीट एक्सचेंजर में दरार या क्षति के माध्यम से हवा के प्रवेश की संभावना से इंकार किया गया।

घ. उच्च स्तर पर स्तंभ में रिसाव/दरार होने की संभावना से भी इंकार किया गया है, क्योंकि स्तंभ के उच्च भाग में आग लगने की घटना नहीं देखी गई तथा उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ।

ड. थर्मिक द्रव का आकस्मिक रिसाव भी असंभव है क्योंकि केतली से आग लगने के बाद एकत्रित दूषित द्रव में थर्मिक द्रव की उपस्थिति नहीं देखी गई

12. इस प्रकार, हवा के प्रवेश का स्रोत मैनहोल कवर के टेफ्लॉन गैसकेट की विफलता और/या मैनहोल फ्लैंज के जंग लगने से खुलने तक सीमित हो जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि टेफ्लॉन गैसकेट समय के साथ दरार कर सकता है और दरार से हवा कॉलम में प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह वैक्यूम के तहत काम कर रहा है। इसके अलावा मैनहोल कवर जिसमें टेफ्लॉन गैसकेट के संपर्क में आने वाला पक्ष भी शामिल है, जंग लगा हुआ पाया गया और इससे हवा के प्रवेश के लिए रास्ता खुल सकता है। उपरोक्त दो संभावनाएँ इस तथ्य से पूरी तरह से समर्थित हैं कि आग सबसे पहले मैनहोल कवर के पास देखी गई थी और कॉलम और एसएस पैकिंग ग्रिड का खोल बुरी तरह से पिघला हुआ/विकृत पाया गया था।

*13. **इसलिए आग उच्च तापमान पर आसवन के तहत ज्वलनशील उत्पादों के प्रज्वलन के कारण लगी थी, जो गैसकेट की विफलता और/या मैनहोल फ्लैंज के जंग लगने के कारण कॉलम में हवा के प्रवेश के बाद हुई थी।** सभी उत्पाद उच्च*

तापमान सीमा पर थे, जहां वे आसानी से प्रज्वलित हो सकते हैं और लगातार जल सकते हैं।"

37. स्वतंत्र सर्वेक्षक प्र. अभि.सा. 1/57 की इस रिपोर्ट पर प्रतिवादी के सर्वेक्षक मेसर्स मैक इंश्योरेंस सर्वेक्षक एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड ने विचार किया, जिन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट प्र. अभि.सा. 1/58 में स्वतंत्र सर्वेक्षक रिपोर्ट के निष्कर्षों से अनिवार्य रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"आग लगने का कारण:

बीमाकृत प्रभावित प्लांट के हमारे प्रारंभिक दौरे के दौरान, हमने उनके तकनीकी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि आग लगने के संभावित कारण की जांच की जा रही है। हमने अपनी ओर से आग लगने के सभी कारणों की बारीकी से जांच की, और पाया कि पूरी प्रक्रिया एक सीलबंद इकाई में की जाती है। यद्यपि अंदर की सामग्री (मेंथा तेल) गर्म होती है और इसका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 110 डिग्री सेल्सियस से 230 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्तंभ वैक्यूम के तहत काम करता है और स्तंभ में हवा के प्रवेश की कोई संभावना नहीं है जो आग लगने के लिए आवश्यक है। घटना की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमाकृत के कर्मचारियों ने बहुत अधिक धुआं देखा।

स्तंभ से किसी भी तरह का रिसाव होने पर आग लग सकती थी क्योंकि फ़्लैश पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है जबकि सामग्री इस तापमान से ज़्यादा उबल रही थी। इसलिए सामग्री को आग के किसी बाहरी स्रोत की ज़रूरत नहीं है और यह अपने आप जल सकती है।"

38. वादी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्र. अभि.सा.1/57 और प्रतिवादी के सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्र. अभि.सा.1/58, दोनों इस बात पर सहमत थे

कि पूरी प्रक्रिया सीलबंद इकाई में होती है और भले ही मेन्थॉल क्वथनांक पर हो, लेकिन सीलबंद कॉलम के अंदर आग नहीं लग सकती।

39. प्रतिवादी के सर्वेक्षक ने ऐसा निष्कर्ष निकाला, जो कि एक विरोधाभासी निष्कर्ष था; अर्थात "स्तंभ से सामग्री के किसी भी रिसाव से आग लग सकती थी क्योंकि फ़्लैश पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है जबकि सामग्री इस तापमान से अधिक उबल रही थी। इसलिए सामग्री को आग के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है और यह अपने आप जल सकती है।" सर्वेक्षक ने उसी वाक्य में कहा "स्तंभ से सामग्री के किसी भी रिसाव से आग लग सकती थी" लेकिन बाद में निष्कर्ष निकाला कि "सामग्री को आग के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है और यह अपने आप जल सकती है" और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह ऑटो इग्निशन का मामला है जो वादी की अपनी हीटिंग प्रक्रिया के कारण हुआ।

40. प्रतिवादी के सर्वेक्षक, मेसर्स मैक इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.03.2015 प्र. अभि.सा. 1/58 के माध्यम से स्टॉक के नुकसान का आकलन 1,79,35,047/- रुपये और प्रतिवादी के आनुपातिक हिस्से का 1,28,59,090/- रुपये किया, लेकिन अंततः अपवाद खंड के तहत कवर किए गए दावे को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि यह ऑटो इग्निशन या स्व-दहन का मामला है और आग को जलाने का कोई तीसरा स्रोत नहीं था। इसलिए, ये जोखिम पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए गए हैं या बल्कि वे पॉलिसी के अपवाद हैं।

41. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या वादी का मामला अपवाद खंड के अंतर्गत आता है।

42. स्वतंत्र सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्र. अभि. सा. 1/57 में कहा था कि आग तभी लग सकती है जब तीन महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हों यानी दहनशील

पदार्थ, ऊष्मा का स्रोत और ऑक्सीजन आदि। रिसाव के स्रोत के बारे में विस्तार से बताया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि गैसकेट की विफलता के कारण सामग्री लीक हो गई हो सकती है जो पहले से ही उबलते बिंदु पर थी और अपने आप आग पकड़ ली। मेसर्स मैक इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट प्र. अभि.सा. 1/58 में भी यही निष्कर्ष है कि कच्चे मेंथा तेल का आसवन वैक्यूम सीलबंद कॉलम के अंदर होता है, जिसमें दहन या आग की संभावना तभी पैदा होगी जब ऑक्सीजन का प्रवेश होगा। मेंथा तेल के प्रसंस्करण के दौरान उच्च तापमान के बावजूद, आसवन कॉलम में विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ने वाले पदार्थ, वैक्यूम होने और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण दहन से नहीं गुजरते हैं अतः यह स्पष्ट है कि पदार्थ, चाहे कितना भी तापमान हो, तब तक स्वयं प्रज्वलित नहीं हो सकता जब तक कि वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया न करे।

43. इसलिए, दोनों रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, जो एक ही हैं, यह माना जाता है कि मेंथा ऑयल किसी रिसाव से प्रज्वलित हो सकता है। मेंथा ऑयल की हीटिंग प्रक्रिया से आग नहीं लग सकती थी, बल्कि यह सामग्री के रिसाव और ऑक्सीजन के साथ मिश्रण के कारण थी जिससे आग लगी। इस प्रकार, इस मामले में आग को वादी की अपनी हीटिंग प्रक्रिया का परिणाम नहीं माना जा सकता है और यह ऑटो-इग्निशन का मामला नहीं है। बहिष्करण खंड हाथ में मौजूद तथ्यों पर लागू नहीं था और प्रतिवादी ने मानक अग्नि और विशेष जोखिम नीति के तहत स्टॉक के नुकसान के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

44. यह भी जांच करना उचित है कि क्या बीमाधारक की ओर से वैक्यूम सील गैसकेट की समय पर सर्विसिंग या प्रतिस्थापन न करने में कोई लापरवाही थी और परिणामस्वरूप वह लापरवाही के कारण दावे का हकदार नहीं है।

45. *उच्चतम न्यायालय ने <u>न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स मुदित रोडवेज,</u> 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1532 में कहा कि "जोखिम और अनिश्चितता के क्षेत्र में, व्यक्ति और संगठन बीमा के गढ़ में सांत्वना की तलाश करते हैं - एक ऐसा अनुबंध जो विश्वास की नींव पर बना होता है। विश्वास आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जो बीमाकर्ता-बीमित संबंध का सार बनाता है। मूल सिद्धांत यह है कि बीमा उबेरिमाई फ़ाइडेई के सिद्धांत द्वारा शासित होता है - बीमाधारक की ओर से पूर्ण सद्भावना होनी चाहिए। बीमा अनुबंध का दिल और आत्मा उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में निहित है जो इसके द्वारा बीमाकृत होना चाहते हैं। यह समझ इस मूलभूत विश्वास को समाहित करती है कि बीमा अपने खंडों के भीतर विश्वास की पवित्रता को संरक्षित करते हुए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। प्रभावी रूप से, बीमाकर्ता सद्भावना से कार्य करने और अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए एक प्रत्ययी कर्तव्य मानता है। **यह जिम्मेदारी विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाती है जब बीमाधारक, अपने कार्यों में, लापरवाह नहीं रहे हों। बीमा अनुबंधों में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बीमाकर्ता ऐसे अनुबंध के आधार पर उस पर लगाए गए कर्तव्य को पर्याप्त रूप से पूरा करे।"***

46. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के सर्वेक्षक द्वारा अपनी अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में या प्रतिवादी द्वारा अपने ईमेल दिनांक 26.03.2015 प्र. अभि.सा. 1/59 (जिसके द्वारा उसने 24,97,284/- रुपये की दावा राशि को मंजूरी दी) या दिनांक 12.04.2017 प्र. अभि.सा. 1/69 के कानूनी नोटिस के उत्तर में वादी की ओर से लापरवाही के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वास्तव में, अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि वादी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं देखा गया था।

47. इसके अलावा, वादी के कर्मचारियों ने आग को तुरंत नोटिस किया और इसे फैलने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई की। दिनांक 21.04 2014 की घटना का वर्णन करते हुए वादी के कर्मचारी का बयान नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> *"मैं सौरदीप घोष (उत्पादन इंजीनियर, आसवन अनुभाग) पुत्र-जयदीप घोष दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को जब मैं नियंत्रण कक्ष से गुजर रहा था, तो पहली मंजिल से बहुत अधिक धुआं आ रहा था, जिसके कारण मेरी नज़र उधर गयी और कर्मचारी इधर-उधर भाग रहे थे, जिससे मुझे घटनास्थल की ओर भागना पड़ा और पता चला कि पहले कॉलम में प्लांट पी-1 में भारी आग लगी थी। हर कोई अग्निशामक यंत्र के साथ आग पर नियंत्रण पाने के लिए दौड़ रहा था। मैं सीढ़ियों से भागा और तीसरी मंजिल में, साइड ग्लास तोड़ने के बाद, मैंने पाइप के माध्यम से दबावयुक्त पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की और इस तरह कॉलम को ठंडा किया। लगातार मंजिलों में यही काम करते हुए, आग पर काबू पा लिया और बुझाने में सफल रहे। उसके बाद, सामग्री को निकालने के लिए केतली का ड्रेन वाल्व खोला गया, जिसे ड्रम में ले जाया गया।"*

48. इस प्रकार, वादी ने आग के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की थी। **यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि वादी की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है, यह माना जाता है कि वादी स्टॉक और प्लांट और मशीनरी को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है।**

आग में नष्ट हुए मेंथा ऑयल/स्टॉक का मूल्य:

49. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि वादी स्टॉक की हानि के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, दूसरा पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है खोए हुए स्टॉक की मात्रा और उसका मूल्य।

50. आसवन प्रक्रिया स्तंभों में होती है। प्रत्येक स्तंभ में तेरह स्तर होते हैं जहाँ कच्चे मेंथा ऑयल को प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग तापमान पर एक अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और स्तंभ के भीतर पूर्ण निर्वात होता है।

51. प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई स्टॉक हानि की मात्रा की गणना करने की पद्धति को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। विवाद यह है कि मेंथा ऑयल/स्टॉक के नुकसान की गणना किस दर से की जानी थी। वादी द्वारा 28% सिस टेरपीन (स्टॉक) के मूल्य की गणना निम्नानुसार की गई:

क्रमांक	**विवरण**	**इकाई**	**दर**
	98% सीआईएस 3 हेक्सानॉल का विक्रय मूल्य	किलोग्राम.	26000
	10% की दर से कम लाभ		2600
	98% सीआईएस 3 हेक्सानॉल की लागत		23400
	यदि 98% सीआईएस 3 हेक्सानॉल की लागत है		26000
	तो 28% सीआईएस टेरपीन कट की दर है		7280
	कम:- व्यय और अन्य		1255
	28% सीआईएस 3 हेक्सानॉल की लागत		6025

52. वादी ने 98% सिस 3 हेक्सेनॉल यानी 26,000 रुपये की कीमत का उपयोग करके 28% सिस टेरपीन की दर की गणना की थी। वादी ने नवंबर 2013 से मई 2014 तक के चालान प्र. अभि.सा. 1/14 से प्र. अभि.सा.-1/20 पेश किए हैं, जिसमें सिस 3 हेक्सेनॉल की कीमत 20,000 रुपये से 27,000 रुपये के बीच बताई गई है, ताकि स्टॉक में नुकसान को साबित किया जा सके।

53. दिनांक 02.04.2014 के चालान में 98% सीआईएस 3 हेक्सेनॉल की कीमत 26,912.25 रुपये प्रति किलोग्राम बताई गई है। इसके बाद, दिनांक

16.04.2014 के चालान में कीमत 22,888.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

54. प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न चालानों का औसत नहीं लिया, बल्कि दिनांक 16.04.2014 के अंतिम चालान के आधार पर 98% सीआईएस 3 हेक्सेनॉल का विक्रय मूल्य 22,888.5 रुपये लिया, क्योंकि आग दिनांक 21.04.2014 को लगी थी। हालांकि, प्रतिवादी ने 98% सीआईएस 3 हेक्सेनॉल की कीमत 20,599.25 रुपये निकालने के लिए औसत सकल लाभ घटा दिया।

55. इसलिए, 98% सिस 3 हेक्सेनॉल की लागत यानी 20,599.25 रुपये का उपयोग करके, 28% सिस टेरपीन की लागत 4512.84 रुपये प्रति किलोग्राम निम्नानुसार आंकी गई:

विवरण	**राशि**
यदि 98% सीआईएस 3 हेक्सेनॉल की लागत	20599.43
तो 28% सीआईएस टेरेपीन कटौती की दर	5767.84
कम: अन्य खर्च	1255
28% की सीआईएस 3 हेक्सानॉल की लागत	4512.84

56. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आग में खोया गया सीआईएस 3 हेक्सेनॉल वही था जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत इनवॉइस के माध्यम से खरीदा गया था। इसके अलावा, स्टॉक के नुकसान की लागत का आकलन नुकसान की तारीख के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने स्टॉक के नुकसान के मूल्य की सही गणना की है।

57. प्रतिवादी के सर्वेक्षक द्वारा स्टॉक के नुकसान का कुल मूल्यांकन 2,61,06,328.00/- रुपये था, जिसमें से 81,71,280.66/- रुपये का बीमा काट लिया गया और भुगतान की जाने वाली कुल राशि 1,79,35,047.34/- रुपये समायोजित की गई। प्रतिवादी के सर्वेक्षक ने 28% सिस टेरपीन के 5784.9 किलोग्राम के लिए नुकसान के लिए अपने आनुपातिक हिस्से की गणना 20,599.25 रुपये की दर से 1,28,59,090 रुपये के रूप में की थी। प्रासंगिक रूप से, वादी के स्टॉक का बीमा 380,00,00,000 रुपये की राशि के लिए किया गया है। इस प्रकार, बीमा के तहत 5,858,654.06 रुपये की कटौती अनुपयुक्त हो जाती है और देय राशि से गलत तरीके से कटौती की जाती है। इसलिए, प्रतिवादी कंपनी द्वारा बीमा के तहत कटौती का आनुपातिक हिस्सा 1,87,17,744.60 रुपये आंका गया, जो वादी को प्रदान किया जाता है।

II. प्लांट के नुकसान का दावाः

58. सर्वेक्षक ने दिनांक 26.03.2015 के ईमेल प्र. अभि.सा.1/59 के माध्यम से प्लांट और मशीनरी के नुकसान का आकलन 24,97,283/- रुपये किया था, जिसे पॉलिसी के तहत स्वीकार्य बताया गया था। यह भी बताया गया कि जब तक वादी प्रतिवादी द्वारा गणना किए गए नुकसान को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होता, तब तक उक्त राशि का निपटान नहीं किया जाएगा।

59. प्लांट के नुकसान और आग बुझाने के खर्च के संबंध में, वादी ने 63,38,267/- रुपये का दावा किया था। अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि वादी ने क्षतिग्रस्त मशीनरी को बदल दिया था, जिसके लिए प्रतिस्थापन लागत साबित करने वाले चालान प्रदान किए गए थे।

60. प्रतिवादी के सर्वेक्षक ने प्लांट को हुए नुकसान की गणना करते समय वादी द्वारा प्रस्तुत सभी चालानों को ध्यान में रखा गया है, जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	राशि (रु.)	कटौती की गई राशि (रु.)			इसके बाद की राशि कटौती ईडी + वैट को हटाया जा रहा है+ विघटन	पार्टी का नाम
					ईडी + वैट	विखंडन	कुल		
1	एस5 304 कॉलम डीआईए-800 मिमी, लंबाई-4.4 मीटर	सं.	1	186,994.00	28,494.00		28,494.00	158500	रीटा इंजीनियरिंग वर्क्स
2	एसएस 304 सीवाई पैकिंग एवं इंटर्नल्स -	स्तम्भ	2	4,370,858.00	400,155.00		400,155.00	3970703	योगी स्ट्रक्चर्ड पैकिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
	डीआईए 750/800 मिमी			24,05000	24,050.00		24,050.00	0	
3	स्तम्भ रीवेम्पिंग श्रम विशेषज्ञ			133,544.00		50% 60214 - 30107	30,107.00	103437	बाबा महाकालेश्व इंजीनियरिंग फैब्रिकेटर
4	इन्सुलेशन, ताप अनुरेखक			292,157.00	0	0	0		एम. आर. इन्सुलेशन
				37,138.00		1838=919 का 50%	919.00	36219	रेवती इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज
5	नट बोल्ट, गैस्केट, आदि।			18,151.00				18151	आस्था इंजीनियर्स
				2.093.00				2093	श्री साई ट्रेडिंग

									कॉर्पोरेशन
				2,093.00				2093	श्री साई ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
6	औजार			341,794.00	31,292.00		31,292.00	310502	टेक्निसिस इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड
7	संरचना की मरम्मत			307,152.00		65700 = 32850 का 50%	32,850.00	274302	बाबा महाकालेश्वर इंजीनियरिंग फैब्रिकेटर
				294,003.00	13,953.00		13,953.00	280050	अजय ट्रेडर्स
				146,152.00	6,927.00		6,927.00	139225	अजय ट्रेडर्स
				3,299.00	157.00		157.00	3142	अजय ट्रेडर्स
				107,384.00	5,084.00		5,084.00	102300	अजय ट्रेडर्स
				71,405.00	3,379.00		3,379.00	68026	अजय ट्रेडर्स
	कुल			**6,338,267.00**	**513,491.00**		**577,367.00**	5,468,743.00	
	कमः औसत मूल्यह्रास @34.06%							1,862,653.87	
								3,606,089.13	
	कमः 15 प्रतिशत पर बचत							540,913.37	
	नुकसान का आंकलन							**3,065,175.76**	
	कमः बीमा के तहत @2.859%							87,633.38	
	कुल समायोजित हानि							**2,977,542.39**	

61. यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी ने वैट और उत्पाद शुल्क के लिए दावा काट लिया है, जिसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने निराकरण शुल्क और हीट ट्रैकर शुल्क को दावे के 50% तक कम कर दिया है। इन कटौतियों का कोई आधार नहीं है।

62. वादी की पॉलिसी **अंडरइंश्योरेंस** के अधीन नहीं है क्योंकि प्लांट, मशीनरी और सहायक उपकरण के लिए नुकसान 41,50,00,000 रुपये तक कवर किया गया है जबकि दावा केवल 63,38,267 रुपये के लिए उठाया गया है। इसलिए, नुकसान की गणना करते समय 87,633.38 रुपये की राशि में कोई अंडरइंश्योरेंस नहीं काटा जा सकता है।

63. प्रतिवादी ने 34.06% की दर से **मूल्यह्रास राशि** में 18,62,653.87 रुपए की कटौती की है। बीमा पॉलिसी प्र. अभि.सा. 1/4 अपने पहले पैराग्राफ में यह प्रावधान करती है कि "कंपनी बीमाधारक को संपत्ति के नष्ट होने के समय उसका मूल्य या ऐसी क्षति की राशि का भुगतान करेगी या अपनी पसंद से ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग को पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित करेगी"। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिवादी के पास तीन विकल्प थे, पहला, क्षति के समय संपत्ति का मूल्य चुकाना, या दूसरा, ऐसी क्षति की राशि का भुगतान करना या तीसरा, संपत्ति को पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित करना। न तो पहला और न ही तीसरा विकल्प चुना गया है। वादी ने क्षतिग्रस्त सुविधा को पुनः स्थापित करवाया है, जिसके विवरण दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, जब वादी द्वारा यह वास्तविक लागत वहन की गई है, मूल्यह्रास के लिए 18,62,653.87 रुपए की कटौती का कोई औचित्य नहीं है।

64. प्रतिवादी ने स्क्रैप का 15% के आधार पर **निस्तारण मूल्य** की गणना की है जो 5,40,913.37 रुपये आया जिसे दावे से काट लिया गया है, जिसे उचित माना गया है।

65. ***इसलिए, वादी को प्लांट और मशीनरी के नुकसान के लिए 57,97,353.63 रुपये की राशि का भुगतान करने का अधिकार है।***

III. अग्नि शमन व्यय:

66. वादी द्वारा 20,699 रुपये का दावा किया गया था। यह दावा राशि सर्वेक्षक द्वारा वैट की कटौती के बाद 958 रुपये यानि 19,741 रुपये की अनुमति दी गई थी। यह माना जाता है कि वादी अग्नि शमन व्यय के रूप में 20,699 रुपये की राशि पाने का हकदार है।

<u>निष्कर्ष:</u>

67. वादी को निम्नलिखित दावों का हकदार माना जाता है:

शेयरों का नुकसान-	रु. 1,87,17,744.60।
प्लांट और मशीनरी का नुकसान-	रु. 57,97,353.63।
अग्नि शमन व्यय-	रु. 20,699।
कुल -	रु. 2,45,35,797.20।

ब्याज:

68. वादी ने 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी दावा किया है। हालांकि, प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.05.2015 से वसूली की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है।

<u>राहत:</u>

69. इसलिए, वादी/कंपनी को 2,45,35,797.20 रुपये (दो करोड़ पैंतालीस लाख पैंतीस हजार सात सौ सत्तानवे रुपये और बीस पैसे) की राशि दिनांक 01.05.2015 से वसूली की तारीख तक 6% की दर से ब्याज सहित वसूलने का हकदार माना जाता है। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

70. लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, तो उनका भी निपटान कर दिया जाता है।

71. तदनुसार, वर्तमान वाद उपरोक्त शर्तों के अनुसार डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

(नीना बंसल कृष्ण)

न्यायधीश

02 मार्च, 2024

एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*